न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :– पुराना : 124/2008, नया : 230/2016

अनवान :

1. शांति बेवा धनपत जाति चमार निवासी नेठराना तहसील भादरा। (मृतक)
2. रामकुमार] पिसरान धनपत जाति चमार निवासी नेठराना
3. रामेश्वर] तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. बलवंत]
5. पूर्ण]

– वादीगण

बनाम

1. पतराम] पिसरान कानाराम जाति चमार निवासी नेठराना
2. सुरेन्द्र] तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– असल प्रतिवादीगण

4. विमला] पुत्रियान धनपत जाति चमार निवासी नेठराना
5. मीरां] तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. सकुंतला]
7. भगवंती]

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं खाता तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिंगाठिया **: वादीगण**

वकील श्री श्रवण सहारण **: प्रतिवादी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक :** 10·5·18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 की रोही मौजा 3 एनटीआर में संयुक्त खाता सं0 नया 1/118 की मु0नं0 39 के किला नं0 23 की 0.253 है0 नहरी मु0नं0 40 के किला नं0 3 की 0.253 है0 जिसमें से रास्ता 0.025 है0 की 0.228 है0 व किला नं0 4 की 0.253 है0 में से रास्ता 0.025 है0 की 0.228 है0 व किला नं0 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 से 24 सम्पूर्ण की कुल 4.301 है0 जिसमें रास्ता 0.050 है0 व बारानी 4.250 है0 तथा मु0नं0 55 के किला नं0 4 की 0.253 है0 बारानी कृषि भूमि इस प्रकार सम्पूर्ण खाता की कुल कृषि भूमि 4.807 है0 बारानी व नहरी जिसमें से नहरी 0.253 है0 तथा गैरमुमकिन रास्ता 0.050 है0 तथा बारानी 4.503 है0 वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 के 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि नहरी व बारानी मुश्तर्का व काश्त व मुश्तर्का खाते की भूमि है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपर वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 व 4 ता 7 के मुश्तर्का कब्जे काश्त व खाते की भूमि है पक्षकारों के मध्य सींव डोल लगान इत्यादि के लिए हमेशा तनाजा बना रहता है इसलिए वादीगण अपनी कृषि भूमि में से नहरी में से नहरी तथा बारानी में से बारानी व अच्छी – न्याऊ के अनुसार खाता विभाजन करवाकर लगान अलग करवाना चाहता है और अपनी अलग भूमि का कब्जा व दखल प्राप्त करना चाहता है।

वाद पेश होने के उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने लोकअदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादिया सं0 4 ता 7 को तर्क किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा खाता व लगान अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने चक 3 एनटीआर में अपनी माता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने व अपने नाम दर्ज भूमि का खाता व लगान अपने सहखातेदारान से अलग कायम करवाने हेतु पेश किया है। किन्तु दौराने दावा वादिया सं0 1 शांति फौत हो चुकी हैं एवं उसके नाम दर्ज कृषि भूमि जरिये इंतकाल सं0 727 दिनांक 27.05.2015 को विरासतन शांति के वारिसान वादीगण सं0 2 ता 5 व प्रतिवादिया सं0 4 ता 7 के नाम दर्ज हो चुकी है व प्रतिवादीया सं0 4 ता 7 विवादित कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग अपने भाईयों के पक्ष कर चुकी है। जिसकी पुष्टि में वादीगण ने चित्रप्रति दस्तबरदारी दिनांक 26.02. 2016 पेश की है। इस प्रकार वादीगण द्वारा चाहे गये घोषणात्मक अनुतोष की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जो जमाबन्दी चक 3एनटीआर खाता सं0 152/141 सम्वत् 2071 से 74 पेश की है उसमें वाद भूमि रामकुमार, रामेश्वर, बलवंत, पुर्ण पि0 धनपत के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है एवं वादीगण का आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादभूमि मुताबिक राजीनामा पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. वादीगण रामकुमार, रामेश्वर, बलवंत, पूर्ण का हिस्सा :– चक 3 एनटीआर के मु0नं0 40 के किला नं0 11, 12, 13 व 14 में से 5 बिस्वा पश्चिमी तरफ किला नं0 17, 18, 19, 20 तथा किला नं0 21 में से 0.126 है0 किला नं0 22 में से 0. 126 है0 किला नं0 23 में से 0.127 है0 किला नं0 24 में से 0.127 है0 कुल 9 बीघा 5 बिस्वा
2. प्रतिवादीगण सुरेन्द्र व पतराम का हिस्सा :– चक 3 एनटीआर के मु0नं0 39 के किला नं0 23 मु0नं0 40 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 9 व 14 में से 15 बिस्वा पूर्वी

अधिकारी (राजस्व) ... जिला हनुमानगढ़

तरफ, किला नं0 21 में से 0.127 है0, किला नं0 22 में से 0.127 है0 किला नं0 23 में से 0.126 है0 किला नं0 24 में से 0.126 है0 व मु0नं0 55 के किला नं0 4 कुल 9 बीघा 15 बिस्वा

चक 3 एनटीआर के मु0नं0 40 के किला नं0 4, 7, 14 में से प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा रास्ता पूर्वी तरफ स्वीकृत किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक यथावत् रखा जावे व राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जाकर पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :- पुराना : 124/2008, नया : 230/2016

अनवान :

1. शांति बेवा धनपत जाति चमार निवासी नेठराना तहसील भादरा। (मृतक)
2. रामकुमार ⎫ पिसरान धनपत जाति चमार निवासी नेठराना
3. रामेश्वर ⎬ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. बलवंत ⎪
5. पूर्ण ⎭

– वादीगण

बनाम

1. पतराम ⎫ पिसरान कानाराम जाति चमार निवासी नेठराना
2. सुरेन्द्र ⎭ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– असल प्रतिवादीगण

4. विमला ⎫ पुत्रियान धनपत जाति चमार निवासी नेठराना
5. मीरां ⎬ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. सकुंतला ⎪
7. भगवंती ⎭

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विनोद सिंगाठिया एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादभूमि मुताबिक राजीनामा पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. वादीगण रामकुमार, रामेश्वर, बलवंत, पूर्ण का हिस्सा :– चक 3 एनटीआर के मु0नं0 40 के किला नं0 11, 12, 13 व 14 में से 5 बिस्वा पश्चिमी तरफ किला नं0 17, 18, 19, 20 तथा किला नं0 21 में से 0.126 है0 किला नं0 22 में से 0.126 है0 किला नं0 23 में से 0.127 है0 किला नं0 24 में से 0.127 है0 कुल 9 बीघा 5 बिस्वा
2. प्रतिवादीगण सुरेन्द्र व पतराम का हिस्सा :– चक 3 एनटीआर के मु0नं0 39 के किला नं0 23 मु0नं0 40 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 9 व 14 में से 15 बिस्वा पूर्वी तरफ, किला नं0 21 में से 0.127 है0, किला नं0 22 में से 0.127 है0 किला नं0 23 में से 0.126 है0 किला नं0 24 में से 0.126 है0 व मु0नं0 55 के किला नं0 4 कुल 9 बीघा 15 बिस्वा

चक 3 एनटीआर के मु0नं0 40 के किला नं0 4, 7, 14 में से प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा रास्ता पूर्वी तरफ स्वीकृत किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक यथावत् रखा जावे व राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जाकर पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपन अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

अधिकारी (राजस्व)